न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हापुड

उपस्थितः– विपिन कुमार–।। (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP-6070)

UPHP010005652013

सत्र परीक्षण सं0 635/2013,
मु0अ0सं0–557/2012
सरकार बनाम अंकित उर्फ काला,
अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना पिलखुवा,
जनपद हापुड़।

दिनांक :–01.07.2023,

अभियुक्त **अंकित उर्फ काला** की ओर से यह गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र सत्र परीक्षण सं0–635/2013 सरकार बनाम अंकित उर्फ काला, अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़ में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्तीकरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त सख्त बीमार होने के कारण नियत दिनांक पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था जिस कारण मा0 न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिये। प्रार्थी/ अभियुक्त आज हाजिर अदालत है। प्राथी/ अभियुक्त ने जान बूझकर कोई गलत नहीं की है। प्रार्थी अभियुक्त नियत दिनांक पर हाजिर होता रहेगा। अतः उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त के वारण्ट गैर जमानतीय वारंट रिकॉल किये जाने की याचना की गयी है।

सुना पत्रावली पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त नियत दिनांक पर बीमार हो गया था जिस कारण न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका था। अभियुक्त आज न्यायालय में हाजिर है। वारण्ट निरस्त का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त **अंकित उर्फ काला** द्वारा 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इस आशय का अण्डरटेंकिग की, वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहेगा, दाखिल करने पर वारण्ट रिकॉल प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

(विपिन कुमार–।।)
J.O. Code (UP-6070)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हापुड।

Digitally signed by
VIPIN KUMAR
Date: 2024.07.01
15:16:20 IST
Reason: Order
Location: ADJ-1
Hapur